

कार्यालय ज़िला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, यमुनानगरी

आदेश क्रमांक जो 2/2001/1733-62

दिनांक 01-03-2001

द्वामेश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कपालमौघन, यमुनानगर को कक्षा पहली से पांचवीं तक शिक्षा बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थार्ड मामला तत्काल प्रभाव से निन्न शिर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और सरकार/विभाग से किसी पद यी ग्रांट को पांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी की गई विनायकों एवं शर्तों तथा ऐजेंशन कोड की धारा 214 से 237 के तहत सभी नियमों एवं शर्तों को पानी के लिए बाध्य होगा।
3. विद्यालय स्टाफ का वेतन समय-2 पर संशोधन होने पर नियमानुसार संशोधित राजि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर के नाम से विद्यालय के पांच के वेतन के बराबर की राशि ऐजेंशन के बाध्य होगी।
4. भावों नियन्त्रित विभाग/सरकार द्वारा जारी नियमानुसार ही को जायें तथा नियन्त्रित करते समय आरक्षण नीति का भी ध्यान रखा जायें।
5. स्टाफ को सीठपीठफू सरकार के नियमानुसार चालू किया जायें।
6. पांडों का भेदर नियमानुसार इस कार्यालय को भेजे तथा विद्यालय बैर का का आर्फ आडिट विभागीय नियमानुसार करवाया जायें।
7. स्टाफ को वेतन नुस्खे द्वारा दिया जायें।
8. यदि विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा जारी आदेशों को पालना नहीं करता तो मान्यता किसी भी समय रह को जा सकती है।

ज़िला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
यमुनानगर 01-03-2001

पृष्ठा क्रमांक सम

इसकी एक प्रति नियन्त्रित को सूचनार्थ एवं भाष्यक जारीकरायी जाएगी।

धूमित है—

1. नियन्त्रक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, घण्डोगढ़।
2. तभी घण्ड शिक्षा अधिकारी ज़िला यमुनानगर f-प्रति
3. तभी ज़िला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हरियाणा नाल्य में।
4. प्रबन्धक संचालन विद्यालय द्वामेश वरिष्ठ माध्यक कार्यालय कपालमौघन, यमुनानगर।
5. अन्यमांग अधिकारी इस कार्यालय में।
6. प्रबन्धक समिति विद्यालय। द्वामेश वरिष्ठ माध्यक कपालमौघन।

ज़िला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
यमुनानगर।

कामांक तमा विद्यालयी, मुमुक्षा नगर ।

निदेश क्रमांक जी-२/११/१५४०० दिनांक २-७-९७

दशमेश हार्ड स्कूल कपालमोहन ४ यमुना नगर ४ को कृत्तिमा से
फैटा, आठवाँ तक शिक्षा बोर्ड में 'निहित शक्तियों' का प्रयोग करते हुए निम्न
शातों पर स्थार्ड मान्यता १-४-९९ से प्रदान की जाती है ।

शातें

1. संस्थाएँ विभाग से किसी प्रबन्ध की ग्राउं की मांग नहीं करेगी तथा विधायक के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही छार्चे पर धलायें ।
2. विधालय विभाग / बोर्ड द्वारा जारी की गई विद्यतों एवं शातों की प्राप्तालना करेगा ।
3. विधालय विभाग के अधीन विभाग के सभालय को विधि विभाग द्वारा प्रदान आलेव विभाग द्वारा कराया जाए ।
4. विधालय शिक्षा बोर्ड में अंकित धारा 214 से 239 तक सभी शातों की पूर्णताधा प्राप्तालना करेगा ।
5. विधालय की मान्यता की अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।
6. विधालय का अडिट विभागीय नियामनुसार करवाया जाये तथा जिला शिक्षा अधिकारी को भागी जाने वाली दीजी निधियाँ समय पर भौजी जाये ।
7. मान्यता के सम्बन्ध में मान्यीय पंजाब एवं हरियाणा न्यायमालय में विचारा न सी. उच्चायु. पी. नं० ८०९४/१९९७ का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा ।

श्री निवास शाह
जिला शिक्षा अधिकारी
यमुना नगर ।

पू० क्रमांक सम दिनांक

इसकी एक-प्रति निम्नलिखित को शूलगाथा एवं ग्राम्याधिक कार्यवाही देतू

1. निदेशक, सैकार्डरी शिक्षा हरियाणा, यण्डीगढ़ ।
2. सचिव हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड शिक्षानी ।
3. सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
4. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी जगाधारी को उनके यादी क्रमांक जी-३/९९, ३६
5. दिनांक २५.५.९९ के सन्दर्भ में ।
6. प्रबन्धक / मुख्याधिकारी दशमेश हार्ड स्कूल, कपाल मोहन ४ यमुना नगर ४
7. अरुमांग/ आकड़ा अधिकारी, ४ स्थानीय ।

frankshakur

प्रभा दिव्या विधान

यमुना नगर ।

कार्यालय सिद्धांत तैकण्डरी प्रिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक: 23/25/2008 तिथि-12: विदेशप्रश्नीकृति 26.7.2008

कार्यालय सिद्धांत तैकण्डरी प्रिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

को दर्शवीं स्तर तक

की स्थानीय गान्धीजी दिनांक 1.4.2000 से निम्न रातों पर प्रतान की जाती है :-

1. विद्यालय के ग्रन्थालय तकूल को अपने ही राधियों से बचाएंगे और ग्रन्थालय की गाँग नहीं करेंगे ।
2. विद्यालय निदेशालय द्वारा तम्य-2 पर जारी की जाने वाली विद्यायतों की पालना करेंगा ।
3. विद्यालय हरियाणा प्रिक्षा कोड की धारा 159 तथा 214 से 239 तक की गभी रातों की पूर्ण स्थ से पालना करेगा ।
4. विद्यालय हरियाणा प्रिक्षा स्टॉ 1995 की धारा-4 की सभी रातों को ५०% करेगा तथा इसके जो नियम बनेंगे उनकी विद्यालय पालना करेगा ।
5. अध्यापकों को वेतन ब्रात घेल द्वारा दिया जाए ।
6. नियुक्ति में आरक्षण नीति जा ध्यान रखेंगा ।

राम गोपाल नागराल

प्रधान निदेशालय विद्यालय

कार्यालय निदेशालय तैकण्डरी प्रिक्षा हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक रम दिनांक: 26.7.2008

इसकी एक प्रति निम्नालिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक लार्याही हेतु
प्रेषित है :-

1. जिगा प्रिक्षा अधिकारी ~~प्रिक्षा अधिकारी~~ को उनके पत्र क्रमांक ~~26/10~~ दिनांक 3-7-2008 के सन्दर्भ में ।
2. सचिव, हरियाणा विधालय प्रिक्षा बोर्ड, प्रिक्षानी ।
3. अधीक्षक तैकण्डरी प्रिक्षा/आर्कडा। स्थानीय।
4. मुख्याध्यापक, कार्यालय सिद्धांत तैकण्डरी प्रिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

प्राप्ति-प्राप्ति दिनांक 26/9/2008
अधीक्षक विधालय

प्रते निदेशालय तैकण्डरी प्रिक्षा हरियाणा ।

Raj